

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2010—पौष 10, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. एफ-4-17-2010-सं.-तीस.—राज्य शासन द्वारा पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के अंतर्गत राज्य में संरक्षित पुरातत्वीय/ऐतिहासिक स्मारकों/संग्रहालयों एवं पुरावशेषों आदि के रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिए “धरोहर के लिए उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिए” योजना बनाई गई है इस योजना के संचालन के लिए बनाए गए “धरोहर के लिए उद्योग-अतीत का संरक्षण भविष्य के लिए” निधि नियम, 1994 में नियम 8 के बाद निम्न

नियम 8-क जोड़ा जाता है :-

8. (क) इस योजना के लिए निधि संग्रहण के कार्य में सहयोग करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग.
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
3. प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम.
4. आबकारी आयुक्त.
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.